24/5/22

Not To Press
[signature]
24-5-22

पत्रावली पेश हुई। राजकीय अधिवक्ता
राजस्व उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता
उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित नहीं।
प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि
हस्तगत प्रकरण धारा 11/14 राज.
उपनिवेशन अधिनियम के अंतर्गत नहीं
आता है। हस्तगत प्रकरण में परिवादी-
प्रार्थी द्वारा नजरसानी का प्रार्थना पत्र
उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के न्यायालय
में प्रस्तुत किया गया था। नजरसानी में
प्रार्थी बंता सिंह ने अनुतोष
माहपय से चाहा कि मु.न. 68 के 25 बीघा
बारानी, मु. नं. 57 के 12 बीघा 10
बिस्वा बारानी चक 2 LC सायल के
पास पुख्ता आवंटन रहने दिया जावें
व अप्रार्थी दौलतराम के नाम से
खारिज किया जावे। उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर की रिपोर्ट क्रमांक 70 दिनांक
10.1.79 के अनुसार सायल बंता सिंह
को कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक
6540 दिनांक 8.5.71 द्वारा उपरोक्त
रकबा पुख्ता अलॉट किया गया था,
जो पुन: गैरसायलान को बतौर भूमिहीन
अलॉट किया गया है। इस प्रकार यह
स्पष्ट है कि बंता सिंह को पूर्व में
किये गये आवंटन को निरस्त कर
पुन: गैरसायलान को अलॉटमेंट किया
गया है। सायल बंता सिंह के अधिवक्ता

Scanned with OKEN Scanner

हस्तगत प्रकरण को नोटप्रेस का कोई ~~कार्य~~वाही
नहीं चाहते हैं। अतः वकील सायल द्वारा
नोटप्रेस करने के कारण हस्तगत प्रकरण
खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल
शुमार की जाकर नंबर से रप की
जावे व बाद तकमील फिता अभिलेखागार
में जमा करायी जावे। आदेश खुले
न्यायालय में सुनाया गया।